

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राघेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया।
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक : 12-10-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹22,31,31,500/- (बाईस करोड़ एकतीस लाख एकतीस हजार पाँच सौ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-21(7)ब दिनांक-14.06.18, 32(7)ब दिनांक-20.09.18, 40(7)ब दिनांक-01.10.18 एवं 46(7)ब दिनांक-11.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹22,31,31,500/- (बाईस करोड़ एकतीस लाख एकतीस हजार पाँच सौ रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है(विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।


6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

②

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।
सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
12. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।
13. सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।
14. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे ।
15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,




(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापांक : 55 (7) B

पटना, दिनांक : 12-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव



विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रसंजलीय अस्पताल (पिन कोड-20-2210011100013) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	विद्युत प्रभार (13-04)	वर्दी/पोषक (13-06)	आहार/पथ्य (21-03)	संविदा सेवाएँ (28-02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प्रभावती अस्पताल, गया	750000	1125000	1200000	0	7500	750000	10582500	0	0	0	0	0	10582500	1084/27.9.18
2	सारंग (छपरा)	1500000	2250000	2400000	0	15000	1500000	21165000	0	0	0	0	0	21165000	2764/29.9.18
3	मोतिहारी	1400000	2100000	2240000	0	14000	1400000	19754000	1000000	20000	1000000	0	0	21774000	580/3.10.18
4	रोहतास(सासाराम)	1500000	2250000	2400000	0	15000	1500000	21165000	0	0	0	0	0	21165000	955/16.4.18
5	सहरसा	1500000	2250000	2400000	0	15000	1500000	21165000	0	0	0	0	0	21165000	774/6.4.18
6	सुपौल	1000000	1500000	1600000	0	10000	1000000	14110000	0	0	2500000	3000000	8000000	27610000	1434/3.10.18
7	शिवहर	500000	750000	800000	0	5000	500000	7055000	0	0	0	0	0	7055000	
8	कैमूर	1000000	1500000	1600000	0	10000	1000000	14110000	0	0	0	0	0	14110000	
9	दरभंगा	800000	1200000	1280000	0	8000	800000	11288000	0	0	0	0	0	11288000	
10	बेतिया	1000000	1500000	1600000	0	10000	1000000	14110000	0	0	0	0	0	14110000	
11	समस्तीपुर	1500000	2250000	2400000	0	15000	1500000	21165000	0	0	0	0	0	21165000	
12	मधेपुरा	1000000	1500000	1600000	0	10000	1000000	14110000	0	0	0	0	0	14110000	
13	गुरू गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना	1200000	1800000	1920000	900000	12000	1200000	17832000	0	0	0	0	0	17832000	
	कुल	14650000	21975000	23440000	900000	146500	14650000	207611500	1000000	20000	3500000	3000000	8000000	223131500	

(बाईस करोड़ एकतीस लाख एकतीस हजार पाँच सौ) ₹ मात्र

55 (A) 6
12-10-18

सरकार के विशेष सचिव

अभिषेक

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
		3	4	5	6	7
1	वेतन (0013-01-01)	2443470000	2246600000	1465000000	2393100000	503700000
2	जीवन यापन भत्ता (0013-01-03)	366520000	336990000	21975000	358965000	7555000
3	मकान किराया भत्ता (0013-01-04)	390950000	336990000	23440000	360430000	30520000
4	परिवहन भत्ता (0013-01-05)	18550000	1005000	900000	1905000	16645000
5	चिकित्सा भत्ता (0013-01-06)	46150000	44932000	146500	45078500	1071500
6	अन्य भत्ता (0013-01-07)	244340000	224660000	14650000	239310000	5030000
7	त्यौहार अग्रिम (0013-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	3510980000	3191177000	207611500	3398788500	112191500
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013-06-01)	2500000	656642	0	656642	1843358
9	यात्रा व्यय (0013-11-01)	2530000	1415000	0	1415000	1115000
10	कार्यालय व्यय (0013-13-01)	9006000	3895000	0	3895000	5111000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013-13-02)	3930000	2010000	0	2010000	1920000
12	दूरभाष (0013-13-03)	5000000	2620000	0	2620000	2380000
13	विद्युत प्रभार (0013-13-04)	58520000	54050000	1000000	55050000	3470000
14	विधि प्रभार (0013-13-05)	1000000	210000	0	210000	790000
15	वर्दी / पोषाक (0013-13-06)	997000	905500	20000	925500	71500
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013-13-07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013-14-01)	1810000	1810000	0	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013-20-03)	27000000	0	0	0	27000000
19	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0013-21-01)	27000000	25910000	0	25910000	1090000
20	दवा भंडार (0013-21-02)	300000000	266500000	0	266500000	33500000
21	आहार / पेय (0013-21-03)	120000000	63566250	3500000	67066250	52933750
22	लघु कार्य (0013-27-01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुक्षण एवं भरमत्त (0013-27-02)	50000000	0	0	0	50000000
24	संवित्त सेवारत (0013-28-02)	800000000	786501550	3000000	789501550	10498450
25	व्यवसायिक / कला तकनीकी सेवारत (0013-28-04)	700000000	448500000	8000000	456500000	243500000
26	अनुग्रह अनुदान (0013-37-01)	800000	0	0	0	800000
27	गरीबों एवं उपस्कर (0013-52-01)	50000000	35950000	0	35950000	14050000
	कुल योग:-	5671075000	4885676942	223131500	5108808442	562266558

55 (7) ब

12-10-18

सरकार के विशेष सचिव

आर

(Handwritten Signature)